अमान्यताप्राप्त दलों का चंदा: पारदर्शिता और राजनीतिक अवसर

समाचार संदर्भ: 11 सितंबर 2026 की नियामकीय बहस | राजनीतिक वित्त • जवाबदेही | GS-II

कम चुनावी सफलता अपने आप किसी दल को अवैध नहीं बनाती। फिर भी बड़े चंदे, सीमित गतिविधि और अस्पष्ट खर्च का अंतर सार्वजनिक जाँच माँगता है।

खबरों में क्यों

11 सितंबर 2026 की सार्वजनिक बहस में पंजीकृत अमान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के चंदे और नियमन पर सवाल उठे। इसकी पृष्ठभूमि छह दलों के 2023–24 में लगभग ₹1,700 करोड़ घोषित चंदे और सीमित चुनावी उपस्थिति संबंधी रिपोर्टिंग थी। यह नया निर्वाचन नियम या अपराध सिद्ध करने वाला न्यायिक फैसला नहीं था। संबंधित रिपोर्ट ने भी छह दलों द्वारा वित्तीय अपराध स्थापित नहीं किया।

पंजीकरण और मान्यता अलग हैं

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A राजनीतिक दल के पंजीकरण का ढाँचा देती है। पंजीकृत होने पर भी राष्ट्रीय या राज्य दल की मान्यता के लिए निर्धारित चुनावी शर्तें पूरी करनी होती हैं। RUPP यानी पंजीकृत अमान्यताप्राप्त दल; अमान्यताप्राप्त का अर्थ अपंजीकृत, प्रतिबंधित या अपराधी नहीं है।

मुख्य तथ्य

जाँच का विषय: रिपोर्टों में घोषित धन और जमीनी राजनीतिक गतिविधि के बीच अंतर पर सवाल हैं। बड़ा चंदा या बंद कार्यालय अपने आप धनशोधन का अंतिम प्रमाण नहीं; दान, नियंत्रण और खर्च की जाँच अलग जरूरी है।

पुराने आँकड़े की सही पहचान: 18 जुलाई 2025 की ADR रिपोर्ट ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 2,764 दलों में 739 यानी 26.74 प्रतिशत का कम-से-कम एक वित्तीय विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध पाया। दोनों विवरण 501 दलों के उपलब्ध थे। यह सितंबर 2026 की नई अनुपालन-दर नहीं।

प्रकटीकरण का उद्देश्य: चंदे और व्यय के दस्तावेज से नागरिक और नियामक स्रोत, उपयोग तथा जवाबदेही जाँच सकते हैं। सार्वजनिक वेबसाइट पर विवरण न मिलना और उसका कभी जमा ही न होना एक ही निष्कर्ष नहीं।

नियमन और बहुलवाद का संतुलन

समान नियम: छोटे और बड़े दलों के लिए समय पर विवरण, लेखापरीक्षा और सही संपर्क-पते की अपेक्षा हो। छोटे दल के लिए सरल प्रक्रिया हो, वित्तीय अपारदर्शिता की छूट नहीं।

साक्ष्य आधारित प्रवर्तन: चंदे की बैंकिंग शृंखला, दाता और खर्च के रिकॉर्ड की जाँच संबंधित कानूनों के अनुसार हो। आरोप, कर-जाँच और दोषसिद्धि को अलग रखें।

राजनीतिक अवसर: नई विचारधारा या क्षेत्रीय आवाज को चुनाव जीतने में समय लग सकता है। केवल सीट न जीतने पर राजनीतिक अवसर बंद करना लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा कमजोर कर सकता है।

विश्लेषण और आगे की राह

दल को सूची से हटाने, राष्ट्रीय या राज्य मान्यता खोने और कानूनी पंजीकरण रद्द होने में अंतर है। सितंबर की बहस निर्वाचन आयोग की सीमित पंजीकरण-रद्द करने की शक्तियों और सुधार की जरूरत पर थी; प्रस्ताव को लागू कानून न लिखें। सुधार में सार्वजनिक, खोजने योग्य वित्तीय विवरण, त्रुटि-सुधार की समय-सीमा और आनुपातिक कार्रवाई उपयोगी हो सकती है। किसी अधिकार में विस्तार हो तो स्पष्ट कानूनी आधार, सुनवाई और अपील की सुरक्षा जरूरी है। केवल मतदान या सीट की न्यूनतम सीमा को भ्रष्टाचार का पूरा समाधान न मानें; औपचारिक शर्त पूरी करके भी वित्तीय गड़बड़ी संभव है। सफलता का माप अधिक प्रतिबंध नहीं, सत्यापित पारदर्शिता और निष्पक्ष राजनीतिक अवसर होना चाहिए।

अवधारणा में अंतर

पंजीकरण, चुनावी मान्यता और कर-लाभ अलग व्यवस्थाएँ हैं। सार्वजनिक विवरण की अनुपलब्धता, संदिग्ध लेनदेन और न्यायिक रूप से सिद्ध अपराध अलग अवस्थाएँ हैं।

मेंस दृष्टि

GS-II में चुनाव सुधार और लोकतांत्रिक संस्थाएँ। वित्तीय जवाबदेही के साथ राजनीतिक बहुलवाद और उचित प्रक्रिया पर चर्चा करें।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

पंजीकृत अमान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के वित्तीय नियमन में पारदर्शिता और राजनीतिक बहुलवाद के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? चर्चा कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: RUPP का अर्थ पंजीकृत अमान्यताप्राप्त राजनीतिक दल बताते हुए पंजीकरण और चुनावी मान्यता अलग करें। अमान्यताप्राप्त होना अवैध या अपराधी होना नहीं है।

मुख्य भाग में: समयबद्ध वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षा, सही संपर्क-पता तथा सार्वजनिक खोज योग्य रिकॉर्ड से चंदे और खर्च की जाँच के लाभ समझाएँ। बड़े चंदे, कम सीटों या वेबसाइट पर विवरण न मिलने को स्वतः धनशोधन का प्रमाण न मानें; दाता, बैंकिंग शृंखला और व्यय की साक्ष्य-आधारित जाँच जरूरी है। छोटे दलों के लिए सरल अनुपालन तथा नई और क्षेत्रीय आवाजों के अवसर रखें। सूची से हटाना, मान्यता खोना और पंजीकरण रद्द करना अलग कार्रवाइयाँ हैं।

निष्कर्ष में: स्पष्ट कानूनी आधार, त्रुटि सुधार की अवधि, सुनवाई, अपील और आनुपातिक कार्रवाई का सुझाव दें। लक्ष्य अधिक प्रतिबंध या केवल सीट-सीमा नहीं, सत्यापित वित्तीय पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो।

स्रोत

- मूल कानूनी पाठ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, धारा 29A
- ADR की मूल रिपोर्ट: 18 जुलाई 2025, वित्त वर्ष 2022–23
- 11 सितंबर 2026 की नियामकीय बहस: समस्या और सुधार के प्रस्ताव

- मूल खोजी रिपोर्ट: घोषित धन, प्रतिक्रियाएँ और अपराध सिद्ध न होने की सीमा

याद रखें: अमान्यताप्राप्त का अर्थ अवैध नहीं; पारदर्शी वित्त और निष्पक्ष राजनीतिक अवसर दोनों लोकतंत्र की जरूरत हैं।